न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/36/2019

कल्लू नवीरा हयात जाति मेव निवासी कठोल तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

आमीन नवीरा हयात जाति मेव निवासी कठोल तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.....असल प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व उपखण्ड अधिकारी, पहाडी श्री रामरतन शर्मा मुकदमा आमीन बनाम कल्लू नं0 25/14

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी श्री रामरतन शर्मा के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक प्रकरण विविध संख्या 25/14 शीर्षक आमीन बनाम कल्लू उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के यहां विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री रामरतन शर्मा के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उन पर दबाब है व उन्हें इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्र करना है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी, पहाडी से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, पहाडी से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि दावा उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी दावा को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी निर्णय को नहीं होने

देना चाहते है । दावा को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पहाडी द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने के कारण निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा सारे आरोप मनगढंत व असत्य हैं, जिनका इस न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण केस को लम्बा करने की नियत है। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, पहाडी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, पहाडी से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि विचारधीन दावा वर्ष 2019 का है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर दावा को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन दावा को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पहाडी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर